संख्या-56/780/एक-1-2015-1(2)/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: सितम्बर, 2015

विषय:-मुख्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण के उपरान्त शेष बची भूमि का रास्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1137/ओ.एस.डी./2014, दिनॉक 19.07.2014 एवं पत्र संख्या-2097/भू0व्य0लि0/2015, दिनॉक 13.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनॉक 13.07.2014 द्वारा ग्राम रायपुर खुर्द तहसील व जिला अमरोहा के गाटा संख्या-6 व 47 मि0 जो मो0 नईम पुत्र स्व0 अब्बास आदि के नाम संक्रमणीय भूमि के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या-47 रकबा 0.922 हे0 में से 0.461 हे0 रास्ते साइट की भूमि का अधिग्रहण मुख्यालय हेतु किया गया। शेष बची कृषि भूमि पर आने-जाने का रास्ता न होने के कारण रास्ता दिलाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

3. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय हेतु अग्रिहण के उपरान्त कृषक को अवशेष भूमि में आने-जाने हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रास्ता उपलब्ध करा दिया जाये:-

(1) तहसील मुख्यालय की 59 मीटर लम्बी भूमि जो पक्की सी.सी. रोड कलेक्ट्रेट आवासीय कालोनी हेतु भूमि बनी है, से जोड़कर रास्ता दिया जायेगा।

(2) मो0 नईम पुत्र स्व0 अब्बास आदि की अवशेष भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता दिये जाने के बराबर ही उतनी ही भूमि लेकर तहसील मुख्यालय के उपयोगार्थ सुरक्षित रखी जाय।

(3) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यवाही से भविष्य में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भूमि तथा जिला मुख्यालय के विकास में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा और न ही शासकीय सम्पत्ति में कोई/हानि ही होगी।

(4) प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार/स्वामित्व नहीं होगा,

shasnadesh.up.nic.in

बल्कि रास्ता सार्वजनिक उपयोग में प्रयुक्त होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-783(1)/एक-1-2015-1(2)/2015 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2; आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3; राजस्व अनुभाग-5
4; गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मनिराम सिंह
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in